



आर एफ डी

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

हेतु

परिणामी रूपरेखा दस्तावेज

(2012-2013)

खण्ड 1 :

विज्ञान, मिशन और कार्य

विज्ञान

उत्तम कार्यशील दशाएं तथा श्रमिकों के जीवन की उन्नत गुणवत्ता, भारत में बच्चों से संकटपूर्ण सेक्टरों में श्रम न कराया जाना सुनिश्चित करना तथा रोजगार सेवाओं एवं कौशल विकास द्वारा रोजगारपरकता का स्थायी आधार पर संवर्धन करना।

मिशन

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी उपाय प्रदान करने, कार्य की दशाओं को विनियमित करने, श्रमिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, संकटपूर्ण व्यवसायों व प्रक्रमों से बाल श्रम के उन्मूलन, श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुदृढ़ बनाने तथा कौशल विकास एवं रोजगार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नीतियांपरियोजनाएं स्थापित एवं क्रियान्वित करते /योजनाएं/कार्यक्रम/ हुएश्रमिकों की कार्यशील दशाएं सुधारना व उनके जीवन की गुणवत्ता उन्नत बनाना।

उद्देश्य

१. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के उपायों का संवर्धन करना।
२. संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
३. संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से बाल श्रम का उन्मूलन करना।
४. कौशल विकास को बढ़ावा देना
५. रोजगार सेवाओं को सुदृढ़ बनाना
६. औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निबटान तथा श्रम कानूनों की प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना।
७. कर्मचारियों की सुरक्षा दशाएं एवं सुरक्षा उन्नत बनाना

कार्य

१. श्रम तथा प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना एवं केंद्रीय रूप से मजदूरियों, तथा कार्य की अन्य दशाओं को विनियमित करना।

खण्ड 1 : विज्ञान, मिशन और कार्य

२. जिन इकाईयों में केंद्र सरकार, उपयुक्त सरकार है, उनके संदर्भ में औद्योगिक संबंध उन्नत बनाने के लिए श्रम कानून अधिनिर्णयों, अनुबंधों, अनुशासन संहिता इत्यादि का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
३. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में श्रम कानूनों, औद्योगिक संबंधों, कार्मिक नीतियों तथा प्रविधियों इत्यादि के क्रियान्वयन संबंधी मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करना।
४. खदानों एवं फैक्टरियों में कार्य की दशाओं व सुरक्षा नियमों को विनियमित करना।
५. खनन उद्योग तथा बीड़ी उत्पादन में नियुक्त श्रमिकों को सुविधाएं प्रदान करना।
६. राष्ट्रीय रोजगार सेवा के लिए नीतिगत रूपरेखा, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन रखना।
७. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संचालन की निगरानी करना।
८. प्रशिक्षण-सह-मार्गदर्शन केंद्रों के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की रोजगार संभावनाओं से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करना।
९. मजदूरी, सभी भत्ते और अन्य संबंधित मामलों पर डेटा को बनाए रखना।
१०. श्रमिकों के सभी वर्गों को उनको राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए संवेदनशील करना
११. असंगठित श्रमिकों के कुछ निश्चित सेक्शनों के लिए कल्याणकारी उपाय करना
१२. विविध श्रम विषयों पर पूछताछ, सर्वेक्षण तथा अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने के लिए आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करना।
१३. औद्योगिक संबंधों तथा श्रम के क्षेत्र में सामान्य प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान एवं सलाहकार सेवाओं के दायित्व स्वीकार करना।
१४. बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास में सहायता करना।

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
[1] असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के उपायों का संवर्धन करना।	15.00	[1.1] राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का क्रियान्वयन	[1.1.1] शामिल किए गए जिलों की संचयी संख्या	सं.	4.00	440	400	380	360	350
			[1.1.2] जारी किए गए स्मार्ट कार्ड की संचयी संख्या	सं. (करोड़ों में)	4.00	3.40	3.20	3.00	2.80	2.60
			[1.1.3] वार्षिक मूल्यांकन अध्ययन तथा कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करना।	तारीख	3.00	31/12/2012	31/01/2013	28/02/2013	15/03/2013	31/03/2013
		[1.2] बीड़ी श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन	[1.2.1] हाउसिंग अनुदान के बजट आवंटन के इस्तेमाल का प्रतिशत।	%	4.00	100	90	80	70	60
[2] संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।	10.00	[2.1] कर्मचारियों की राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के क्रियान्वयन की दक्षता बढ़ाना	[2.1.1] नये केन्द्र खोले	सं.	1.00	30	28	26	24	22
			[2.1.2] राज्य सरकार के अस्पतालों में आरक्षित बिस्तरों सहित कुल बिस्तरों की संख्या में वृद्धि	सं.	2.00	200	190	180	170	160
			[2.1.3] चिकित्सा कर्मियों (डॉक्टरों) में वृद्धि	सं.	2.00	400	380	360	340	320

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
			[2.1.4] नए ईएसआईसी अस्पतालों को खोलना	सं.	1.00	1	--	--	--	--
		[2.2] कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के लाभार्थियों को लाभ प्रदान करना	[2.2.1] सभी दावों (फॉर्म 10ए / 10डी को छोड़कर) का निपटारा 30 दिनों के भीतर।	%	1.00	65	55	45	40	35
			[2.2.2] मासिक पेंशन दावों का निपटारा (फॉर्म 10ए / 10डी) 30 दिनों के भीतर।	%	1.00	50	45	40	35	30
			[2.2.3] खातों की पर्चियों का अद्यतन	%	1.00	95	90	80	70	60
			[2.2.4] जनता की शिकायतों का निपटारा	%	1.00	95	90	85	80	75
[3] संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से बाल श्रम का उन्मूलन करना।	10.00	[3.1] राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम का संचालन	[3.1.1] विशेष स्कूलों में नामांकित बच्चे	सं.	4.00	52000	46800	41600	36400	31200
			[3.1.2] विशेष स्कूलों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाना	सं.	4.00	60000	54000	48000	42000	38000

खण्ड 2 :

मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
		[3.2] बाल श्रम के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाएँ	[3.2.1] जागरूकता पर अध्ययन का समापन	तारीख	2.00	31/01/2013	15/02/2013	28/02/2013	15/03/2013	31/03/2013
[4] कौशल विकास को बढ़ावा देना	18.00	[4.1] विश्व बैंक की सहायता से आईटीआई'ज को सीओई के रूप में उन्नयन करना।	[4.1.1] जारी की गई धनराशि	रु. (करोड़ों में)	2.00	100	90	80	70	60
			[4.1.2] जनवरी 2011 में आईटीआई पर संचालित व्यापक रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही की स्टेटस रिपोर्ट।	तारीख	2.00	31/01/2013	15/02/2013	28/02/2013	15/03/2013	31/03/2013
	[4.2] कौशल विकास कार्यक्रम के तहत मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल्स (एमईएस) पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना।	[4.2.1] एमईएस के तहत प्रशिक्षण पाने वाले लोग	सं.	2.00	600000	540000	480000	420000	360000	
		[4.2.2] कौशल विकास पहल के लागत आधारित प्रभावशीलता पर एक अध्ययन का आयोजन।	तारीख	2.00	31/01/2013	15/02/2013	28/02/2013	15/03/2013	31/03/2013	
		[4.3] महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना	[4.3.1] लंबी अवधि और लघु अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किए जाने वाली	सं.	4.00	9000	8200	7000	6500	5400

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
		[4.4] रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईएंडटी) के आम संस्थानों में व्यावसायिक	[4.4.1] लंबी अवधि और लघु अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किए जाने वाले	सं.	4.00	25000	24000	23000	22000	21000
		[4.5] कौशल विकास योजना	[4.5.1] कौशल विकास योजना के लिए ईएफसी नोट का प्रसार।	तारीख	2.00	31/10/2012	15/11/2012	30/11/2012	15/12/2012	31/12/2012
[5] रोजगार सेवाओं को सुदृढ़ बनाना	12.00	[5.1] कोचिंग, मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के नौकरी के इच्छुकों का कल्याण	[5.1.1] रोजगार पाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित व्यक्तियों को व्यावसायिक और कैरियर संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध कराना	सं.	2.00	135000	121500	108000	94500	81000
			[5.1.2] रोजगार पाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्ति की प्रतीक्षा अवधि के दौरान टाइपिंग और शॉर्टहैंड का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना	सं.	1.00	10500	9450	8400	7350	6300

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
			[5.1.3] प्रतियोगी परीक्षाओं/ ग्रेड सी पदों के लिए सेलेक्शन टेस्ट के लिए अनुसूचित जाति/ जनजाति के उम्मीदवारों को तैयारी के लिए कोचिंग उपलब्ध कराना	सं.	1.00	1200	1080	960	840	720
			[5.1.4] अनुसूचित जाति/जनजाति के रोजगार इच्छुक व्यक्तियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना	सं.	2.00	2000	1800	1600	1400	1200
		[5.2] नि:शक्तों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसी) तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाओं (एसटीडब्ल्यू) एवं ग्रामीण पुनर्वास केंद्रों (आरआरसी) का संचालन और स्थापनाएं।	[5.2.1] वीआरसी की भर्ती	सं.	1.00	32000	28800	25600	22400	19200
			[5.2.2] प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन पूरा हुआ	सं.	1.00	31000	27900	24800	21700	18600
			[5.2.3] पीडब्ल्यूडी का पुनर्वास	सं.	1.00	11500	10350	9200	8050	6900
		[5.3] पीपीपी मोड में रोजगार कार्यालयों का आधुनिकीकरण।	[5.3.1] कैबिनेट नोट का परिसंचरण	तारीख	1.00	31/08/2012	30/09/2012 3	1/10/2012	30/11/2012	31/12/2012

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
		[5.4] रोजगार कर रहे लोगों की वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी।	[5.4.1] रिपोर्ट की तैयारी।	तारीख	2.00	30/09/2012	31/10/2012 3	0/11/2012	31/12/2012	31/01/2013
[6] औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निबटान तथा श्रम कानूनों की प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ बनाना।	10.00	[6.1] श्रमिकों को राहत एवं लाभ प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों का प्रवर्तन	[6.1.1] निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं का पता लगाना।	सं.	2.00	300000	270000	240000	210000	180000
			[6.1.2] निरीक्षण के बाद अनुपालन का प्रतिशत।	%	2.00	50	45	40	35	30
			[6.1.3] गड़बड़ी करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मुकदमें दायर	सं.	2.00	2050	1850	1680	1470	1260
		[6.2] औद्योगिक विवादों का निबटारा	[6.2.1] औद्योगिक विवाद खत्म किए गए	सं.	2.00	5025	4522	4020	3517	3015
		[6.3] केंद्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) के अधिकारियों का प्रशिक्षण।	[6.3.1] अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।	सं.	2.00	115	103	92	80	69
[7] कर्मचारियों की सुरक्षा दशाएं एवं सुरक्षा उन्नत बनाना	10.00	[7.1] श्रमिकों की सुरक्षा दशाओं एवं सुरक्षा बेहतर बनाना और फैक्ट्रियों तथा गोदियों में कार्यशील दशाएं एवं सुरक्षा में सुधार	[7.1.1] निर्माण तथा बंदरगाह क्षेत्र में शिक्षा तथा प्रशिक्षण के जरिए एक सकारात्मक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संस्कृति/जागरूकता के निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।	सं.	1.00	60	56	52	48	45

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
			[7.1.2] डीजीएफएएसएलआई द्वारा अध्ययनों/सर्वेक्षणों का	सं.	1.00	55	54	53	52	51
			[7.1.3] प्रमुख बंदरगाहों में प्रवर्तन संबंधी क्रियाकलाप (जहाजों, कंटेनरों आदि का निरीक्षण)	सं.	2.00	2900	2850	2800	2750	2700
			[7.1.4] रेस्पिरेटरी और नॉन-रेस्पिरेटरी पीपीई की जांच	सं.	1.00	775	750	725	700	675
		[7.2] खदानों में कार्यशील दशाओं में सुधार।	[7.2.1] डायरेक्ट्रेट जनरल माइंस सेफ्टी (डीजीएमएस) द्वारा निरीक्षण	सं.	4.00	9900	9700	9425	9150	9000
			[7.2.2] डीजीएमएस द्वारा परीक्षा का आयोजन किया	सं.	1.00	173	171	165	160	155
* आरएफडी प्रणाली का कार्यक्षम संचालन	3.00	अनुमोदन हेतु प्रारूप समय से जमा किया जाना	समय पर प्रस्तुत	तारीख	2.0	05/03/2012	06/03/2012	07/03/2012	08/03/2012	09/03/2012
		परिणामों को समय पर जमा करना।	समय पर प्रस्तुत	तारीख	1.0	01/05/2012	03/05/2012	04/05/2012	05/05/2012	06/05/2012
* प्रशासनिक सुधार	6.00	भ्रष्टाचार के संभावित खतरे को कम करने के लिए शमन रणनीतियों को लागू करना।	कार्यान्वयन का प्रतिशत।	%	2.0	100	95	90	85	80

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
		मंजूर कार्य योजना के अनुसार आईएसओ 9001 को लागू करना।	संक्रिया कार्यक्षेत्र शामिल किए गए।	%	2.0	100	95	90	85	80
		प्रमुख नवीन कार्यों की पहचान करना डिजाइन बनाना तथा लागू	पहचाने गए नवीन कार्यों का क्रियांवयन।	तारीख	2.0	05/03/2013	06/03/2013	07/03/2013	08/03/2013	09/03/2013
* मंत्रालय/विभाग की आंतरिक दक्षता/ अनुक्रियाशीलता/सेवा प्रदायन में वृद्धि	4.00	सेवोत्तम का क्रियान्वयन	सिटिजन चार्टर के क्रियांवयन की स्वतंत्र जांच।	%	2.0	100	95	90	85	80
			सार्वजनिक शिकायत निदान प्रणाली के क्रियांवयन की स्वतंत्र जांच।	%	2.0	100	95	90	85	80
* फाइनेन्सियल एकाउंटबिलिटी फ्रेमवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करना।	2.00	सीएंडएजी के ऑडिट पैराज के संदर्भ में एटीएन का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण।	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद में रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण की तिथि से नियत तिथि (4 माह) के भीतर प्रस्तुत एटीएन का प्रतिशत।	%	0.5	100	90	80	70	60
		पीएसी रिपोर्ट्स के संदर्भ में पीएसी सचिवालय को एटीआर का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण।	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद में रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण की तिथि से नियत तिथि (6 माह) के भीतर प्रस्तुत एटीआर का प्रतिशत।	%	0.5	100	90	80	70	60

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
		31.3.2010 से पूर्व संसद को सौंपी गई सीएंडएजी रिपोर्ट्स के ऑडिट पैरा के संदर्भ में लंबित एटीएन का शीघ्र निस्तारण।	साल के दौरान निबटाए गए बकाया एटीएन का प्रतिशत।	%	0.5	100	90	80	70	60
		31.3.2010 से पूर्व संसद को सौंपी गई पीएसी (PAC) रिपोर्ट्स के संदर्भ में लंबित एटीआर (ATRs) का शीघ्र निस्तारण।	साल के दौरान निबटाए गए बकाया एटीआर का प्रतिशत।	%	0.5	100	90	80	70	60

खण्ड 3 :
सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य	वास्तविक मूल्य	लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
				वित्तीय वर्ष 10/11	वित्तीय वर्ष 11/12	वित्तीय वर्ष 12/13	13/14 के लिए अनुमानित मूल्य	14/15 के लिए अनुमानित मूल्य
[1] असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के उपायों का संवर्धन करना।	[1.1] राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का क्रियान्वयन	[1.1.1] शामिल किए गए जिलों की संचयी संख्या	सं.	295	396	400	450	450
		[1.1.2] जारी किए गए स्मार्ट कार्ड की संचयी संख्या	सं. (करोड़ों में)	1.90	2.75	3.20	3.20	3.20
		[1.1.3] वार्षिक मूल्यांकन अध्ययन तथा कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करना।	तारीख	15/01/2011	16/12/2011	31/01/2013	--	--
	[1.2] बीडी श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का	[1.2.1] हाउसिंग अनुदान के बजट आवंटन के इस्तेमाल का प्रतिशत।	%	--	--	90	90	90
[2] संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।	[2.1] कर्मचारियों की राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के क्रियान्वयन की दक्षता बढ़ाना	[2.1.1] नये केन्द्र खोले	सं.	60	55	28	28	28
		[2.1.2] राज्य सरकार के अस्पतालों में आरक्षित बिस्तरों सहित कुल बिस्तरों की संख्या में वृद्धि	सं.	350	350	190	190	190
		[2.1.3] चिकित्सा कर्मियों (डॉक्टरों) में वृद्धि	सं.	500	400	380	300	300
		[2.1.4] नए ईएसआईसी अस्पतालों को खोलना	सं.	8	4	1	--	--

खण्ड 3 :
सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 10/11	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 11/12	लक्ष्य मूल्य वित्तीय वर्ष 12/13	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य
	[2.2] कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के लाभार्थियों को लाभ प्रदान करना	[2.2.1] सभी दावों (फॉर्म 10ए/10डी को छोड़कर) का निपटारा 30 दिनों के भीतर।	%	60	55	55	55	55
		[2.2.2] मासिक पेंशन दावों का निपटारा (फॉर्म 10ए / 10डी) 30 दिनों के भीतर।	%	60	45	45	45	45
		[2.2.3] खातों की पत्रियों का अद्यतन	%	45.46	90	90	90	90
		[2.2.4]] जनता की शिकायतों का निपटारा	%	88.02	90	90	90	90
[3] संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से बाल श्रम का उन्मूलन करना।	[3.1] राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम का संचालन	[3.1.1] विशेष स्कूलों में नामांकित बच्चे	सं.	42000	45000	46800	52000	52000
		[3.1.2] विशेष स्कूलों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाना	सं.	42000	45000	54000	60000	60000
	[3.2] बाल श्रम के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाएँ	[3.2.1] जागरूकता पर अध्ययन का समापन।	तारीख	--	--	15/02/2013	--	--
[4] कौशल विकास को बढ़ावा देना	[4.1] विश्व बैंक की सहायता से आईटीआईज को सीओई	[4.1.1] जारी की गई धनराशि	रु. (करोड़ों में)	192.28	56.81	90	--	--

खण्ड 3 :
सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 10/11	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 11/12	लक्ष्य मूल्य वित्तीय वर्ष 12/13	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य
	के रूप में उन्नयन करना।	[4.1.2] जनवरी 2011 में आईटीआई पर संचालित व्यापक रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही की स्टेटस रिपोर्ट।	तारीख	--	--	15/02/2013	--	--
	[4.2] कौशल विकास कार्यक्रम के तहत मॉडुलर एम्प्लॉयबल स्किल्स (एमईएस) पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना।	[4.2.1] एमईएस के तहत प्रशिक्षण पाने वाले लोग	सं.	421532	85620	540000	700000	800000
		[4.2.2] कौशल विकास पहल के लागत आधारित प्रभावशीलता पर एक अध्ययन	तारीख	--	--	15/02/2013	--	--
	[4.3] महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना	[4.3.1] लंबी अवधि और लघु अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किए जाने वाली महिलाओं की संख्या	सं.	8144	8011	8200	9500	10000
	[4.4] रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईएंडटी) के आम संस्थानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना	[4.4.1] लंबी अवधि और लघु अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या	सं.	20500	23500	24000	26000	27000
	[4.5] कौशल विकास योजना	[4.5.1] कौशल विकास योजना के लिए ईएफसी नोट का प्रसार।	तारीख	--	--	15/11/2012	--	--

खण्ड 3 :
सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 10/11	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 11/12	लक्ष्य मूल्य वित्तीय वर्ष 12/13	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य
[5] रोजगार सेवाओं को सुदृढ बनाना	[5.1] कोचिंग, मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के नौकरी के इच्छुकों का कल्याण	[5.1.1] रोजगार पाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित व्यक्तियों को व्यावसायिक और कैरियर संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध कराना	सं.	130000	121000	121500	135000	135000
		[5.1.2] रोजगार पाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्ति की प्रतीक्षा अवधि के दौरान टाइपिंग और शॉर्टहैंड का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना	सं.	10000	9000	9450	11000	11000
		[5.1.3] प्रतियोगी परीक्षाओं/ ग्रेड सी पदों के लिए सेलेक्शन टेस्ट के लिए अनुसूचित जाति/ जनजाति के उम्मीदवारों को तैयारी के लिए कोचिंग उपलब्ध कराना	सं.	1050	1050	1080	1200	1200
		[5.1.4] अनुसूचित जाति/जनजाति के रोजगार इच्छुक व्यक्तियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना	सं.	1000	1800	1800	2000	2000
	[5.2] नि:शर्कों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसी) तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाओं	[5.2.1] वीआरसी की भर्ती	सं.	30000	28500	28800	32000	32000
		[5.2.2] प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन पूरा हुआ	सं.	29000	27500	27900	32000	32000

खण्ड 3 :
सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 10/11	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 11/12	लक्ष्य मूल्य वित्तीय वर्ष 12/13	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य
	(एसटीडब्ल्यू) एवं ग्रामीण पुनर्वास केंद्रों (आरआरसी) का संचालन और स्थापनाएं।	[5.2.3] पीडब्ल्यूडी का पुनर्वास	सं.	10000	10000	10350	12000	12000
	[5.3] पीपीपी मोड में रोजगार कार्यालयों का आधुनिकीकरण।	[5.3.1] कैबिनेट नोट का परिसंचरण	तारीख	--	--	30/09/2012	--	--
	[5.4] रोजगार कर रहे लोगों की वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी।	[5.4.1] रिपोर्ट की तैयारी।	तारीख	--	--	31/10/2012	--	--
[6] औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निबटान तथा श्रम कानूनों की प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना।	[6.1] श्रमिकों को राहत एवं लाभ प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों का प्रवर्तन	[6.1.1] निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं का पता लगाना।	सं.	260000	260000	270000	270000	270000
		[6.1.2] निरीक्षण के बाद अनुपालन का प्रतिशत।	%	44	44	45	46	46
		[6.1.3] गड़बड़ी करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मुकदमें दायर	सं.	1845	1850	1850	1900	1900
	[6.2] औद्योगिक विवादों का निबटारा	[6.2.1] औद्योगिक विवाद खत्म किए गए	सं.	4450	4500	4522	4525	4525
	[6.3] केंद्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) के अधिकारियों का प्रशिक्षण।	[6.3.1] अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।	सं.	90	100	103	105	105

खण्ड 3 :
सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 10/11	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 11/12	लक्ष्य मूल्य वित्तीय वर्ष 12/13	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य
[7] कर्मचारियों की सुरक्षा दशाएं एवं सुरक्षा उन्नत बनाना	[7.1] श्रमिकों की सुरक्षा दशाओं एवं सुरक्षा बेहतर बनाना और फैक्टरियों तथा गोदियों में कार्यशील दशाएं एवं सुरक्षा में सुधार	[7.1.1] निर्माण तथा बंदरगाह क्षेत्र में शिक्षा तथा प्रशिक्षण के जरिए एक सकारात्मक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संस्कृति/जागरूकता के निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।	सं.	--	--	56	65	67
		[7.1.2] डीजीएफएएसएलआई द्वारा अध्ययनों/सर्वेक्षणों का आयोजन	सं.	45	54	54	55	55
		[7.1.3] प्रमुख बंदरगाहों में प्रवर्तन संबंधी क्रियाकलाप (जहाजों, कंटेनरों आदि का निरीक्षण)	सं.	2600	2850	2850	2900	2900
		[7.1.4] रेस्पिरेटरी और नॉन-रेस्पिरेटरी पीपीई की जांच	सं.	715	750	750	775	775
	[7.2] खदानों में कार्यशील दशाओं में सुधार।	[7.2.1] डायरेक्ट्रेट जेनरल माइंस सेफ्टी (डीजीएमएस) द्वारा निरीक्षण	सं.	9194	9500	9700	9900	9900
		[7.2.2] डीजीएमएस द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया	सं.	139	170	171	173	173
	* आरएफडी प्रणाली का कार्यक्षम संचालन	अनुमोदन हेतु प्रारूप समय से जमा किया जाना	समय पर प्रस्तुत	तारीख	--	--	06/03/2012	--

खण्ड 3 :
सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 10/11	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 11/12	लक्ष्य मूल्य वित्तीय वर्ष 12/13	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य
	परिणामों को समय पर जमा करना।	समय पर प्रस्तुत	तारीख	--	--	03/05/2012	--	--
* प्रशासनिक सुधार	भ्रष्टाचार के संभावित खतरे को कम करने के लिए शमन रणनीतियों को लागू करना।	कार्यान्वयन का प्रतिशत।	%	--	--	95	--	--
	मंजूर कार्य योजना के अनुसार आईएसओ 9001 को लागू करना।	संक्रिया कार्यक्षेत्र शामिल किए गए।	%	--	--	95	--	--
	प्रमुख नवीन कार्यों की पहचान करना डिजाइन बनाना तथा लागू करना।	पहचाने गए नवीन कार्यों का क्रियांवयन।	तारीख	--	--	06/03/2012	--	--
* मंत्रालय/विभाग की आंतरिक दक्षता/अनुक्रियाशीलता/सेवा प्रदायन में वृद्धि	सेवोत्तम का क्रियान्वयन	सिटिजन चार्टर के क्रियांवयन की स्वतंत्र जांच।	%	--	--	95	--	--
		सार्वजनिक शिकायत निदान प्रणाली के क्रियांवयन की स्वतंत्र जांच।	%	--	--	95	--	--
* फाइनेन्सियल एकाउंटबिलिटी फ्रेमवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करना।	सीएंडएजी के ऑडिट पैराज के संदर्भ में एटीएन का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण।	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद में रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण की तिथि से नियत तिथि (4 माह) के भीतर प्रस्तुत एटीएन का प्रतिशत।	%	--	--	90	--	--

खण्ड 3 :
सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता	इकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 10/11	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 11/12	लक्ष्य मूल्य वित्तीय वर्ष 12/13	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य
	पीएसी रिपोर्ट्स के संदर्भ में पीएसी सचिवालय को एटीआर (का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण)।	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद में रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण की तिथि से नियत तिथि (6 माह) के भीतर प्रस्तुत एटीआर का प्रतिशत।	%	--	--	90	--	--
	31.3.2010 से पूर्व संसद को सौंपी गई सीएंडएजी रिपोर्ट्स के ऑडिट पैरा के संदर्भ में लंबित एटीएन का शीघ्र निस्तारण।	साल के दौरान निबटाए गए बकाया एटीएन का प्रतिशत	%	--	--	90	--	--
	31.3.2010 से पूर्व संसद को सौंपी गई पीएसी रिपोर्ट्स के संदर्भ में लंबित एटीआर का शीघ्र निस्तारण।	साल के दौरान निबटाए गए बकाया एटीआर का प्रतिशत	%	--	--	90	--	--

खण्ड 4:

मापन पद्धति दिशानिर्देशों और सफलता सूचकों के विवरण एवं परिभाषाएं

सफलता सूचकों के विवरण एवं परिभाषाएं, गतिविधियों के सापेक्ष इंगित हैं। मापन पद्धति दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार है।

उद्देश्य 1: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के उपायों का संवर्धन करना।

(क) **आरएसबीवाई:** असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों (पांच लोगों की यूनिट) के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके अंतर्गत स्मार्ट कार्ड के आधार पर रु. 30,000 तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है, 01.04.2008 से लागू हुई। यह स्कीम, प्रवासी श्रमिकों हेतु कार्ड मूल्य को विभाजित करते हुए स्मार्ट कार्ड की पोर्टेबिलिटी सुविधा प्रदान करती है। लाभार्थी, बीमा पैकेज प्रदान करने के लिए सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों के सेवाप्रदाताओं को सम्मिलित करते हुए बनाए गए पैनल में शामिल पूरे देश के किसी भी अस्पताल (सरकारी/निजी) में उपचार हेतु पात्र होता है। इसमें कोई आयु सीमा नहीं है, इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को भी कवर किया गया है। प्रीमियम में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में साझेदारी की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में प्रीमियम में 90:10 के अनुपात में साझेदारी की जाती है। चूंकि यह स्कीम, राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, इसलिए राज्यों की सहभागिता अनिवार्य है। परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने में राज्य सरकारों को सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने निविदा दस्तावेज, संविदा दस्तावेज, लाभार्थियों के नामांकन हेतु टेम्पलेट आदि मॉडल दस्तावेज तैयार किए हैं। राज्य सरकारों को स्कीमों के लाभों के प्रति सहमत कराने के लिए मंत्रियों/उच्चस्तरीय अधिकारियों के साथ श्रृंखलाबद्ध बैठकें आयोजित की गईं। यह योजना 24 राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में चल रही है, जो इस प्रकार हैं- अरुणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीटी, गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान व चंडीगढ़ प्रशासन। 29.02.2012. तक 2.79 करोड़ कार्ड से अधिक का वितरण किया जा चुका है।

वर्ष 2012-2013, के लिए जिलों के कुल कवरेज का लक्ष्य 440 रखा गया है, क्योंकि गोवा तथा तमिलनाडु सरकारों ने पूर्व में आरएसबीवाई का क्रियांवयन कर लिया है, इसलिए आरएसबीवाई को जारी न रखने का फैसला लिया, तथा महाराष्ट्र सरकार ने भी इस योजना को जारी न रखने का फैसला किया। हालांकि इस योजना की सफलता मुख्यतः राज्यों के सहयोग पर निर्भर करती है, जिसके तहत वे प्रीमियम के राज्य हिस्सेदारी को सुनिश्चित करते हैं, प्रस्तावित टेम्पलेट में बीपीएल डेटा को तैयार करते हैं, तथा आरएसबीवाई के तहत नामांकन के लिए फील्ड की ऑफिसर्स उपलब्ध कराते हैं।

इस योजना की सफलता दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लक्षित आबादी को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में काफी कारगर रहेगी।

(ख) **आवास:** बीड़ी श्रमिकों हेतु पुनरीक्षित एकीकृत आवास योजना के अंतर्गत, व्यक्तिगत बीड़ी श्रमिकों, सहकारी सामूहिक आवास समितियों, और राज्य सरकार द्वारा मकानों के निर्माण के लिए दो समान किशतों में रु. 40,000 की अनुदान राशि प्रति आवास प्रदान की जाती है। प्रस्तावों को प्रक्रमित किया जाता है, मकानों के निरीक्षण किए जाते हैं तथा औचक निरीक्षण भी किए जाते हैं। प्रस्तावों को आगे बढ़ाया गया, घरों के निरीक्षण किए गए तथा औचक निरीक्षण किए गए। इस उद्देश्य/कार्य बिंदु के लिए सफलता सूचक 31 मार्च 2013 तक बजट आवंटन (घरों के निर्माण के लिए जारी किए जाने वाले अनुदान के लिए) के प्रतिशत इस्तेमाल के रूप में माना जाता है। सफलता, राज्य सरकारों तथा व्यक्तिगत बीड़ी श्रमिकों से श्रम कल्याण संगठनों के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त आवास प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करती है और मकानों के निर्माण की प्रगति से राज्य सरकार/व्यक्तिगत श्रमिकों/सहकारी सामूहिक आवास समितियों द्वारा श्रम कल्याण संगठनों के माध्यम से अवगत कराया जाता है। स्वीकृत मकानों की संख्या, तथा अवमुक्त की गई अनुदान राशि, सरकार द्वारा स्वीकृत बजट पर निर्भर करती है क्योंकि यह आयोजनेतर क्रियाकलाप है। इससे बीड़ी मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार आ सकेगा।

कल्याण आयुक्त हाउसिंग अनुदान के लिए प्रस्ताव मंत्रालय को सौंपता है। मंत्रालय से कल्याण आयुक्त को हाउसिंग अनुदान निर्गत करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा आरआईएचएस योजना के तहत आवंटित फंड की उपलब्धता पर निर्भर करता है। हाउसिंग लक्ष्यों के निर्माण के लिए हाउसिंग अनुदान के लिए बजट आवंटन 100% उत्कृष्ट के लिए, 90% अत्यंत उत्तम, , 80% उत्तम के लिए, 70% अच्छे के लिए तथा 60% बुरे के लिए संशोधित किया गया है, जो बजट में कमी के कारण है।

संशोधित आवास योजना के तहत बजट आवंटन (आरआईएचएस) - 2007

वर्ष	बजट आवंटन (रु. करोड़ों में)
2009-10	60.92
2010-2011	55.00
2011-12	52.00
2012-13	52.00 (प्रस्तावित)

सफलता का सूचक [1.1.3]- वार्षिक मूल्यांकन अध्ययन तथा कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करना: वर्ष 2011 – 12 में , अध्ययन केवल एक राज्य में आयोजित किया गया है। वर्ष 2012-13 में, अध्ययन को 3 राज्यों में आयोजित किया जाएगा। ताकि, इस सफलता के सूचक के लिए लक्ष्य की तारीख तदनुसार 31-01-2013 संशोधित की गई।

उद्देश्य 2: संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

कार्यवाही [2.1]: कर्मचारी राज्य बीमा योजना(ईएसआई) को लागू करने में दक्षता को बढ़ाना।

(क) **कार्य क्षेत्र**

1. ईएसआई अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार ईएसआई निगम लाभ प्रदान करता है।
2. अधिनियम में दिए गए सभी लाभों के समय पर वितरण के माध्यम से ईएसआई निगम के कार्य-निष्पादन के साधन एकदम सही दिखाये जा रहे हैं।
3. कोड संख्या और कर्मचारियों का पंजीकरण नियोक्ताओं द्वारा ऑनलाइन देना।
4. लाभार्थियों के नकद तथा मेडिकल लाभ प्रदान करने के लिए आइटी रोल आउट के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
5. सार्वजनिक शिकायत प्रणाली के संचालन में सर्वाधिक पारदर्शक तरीका, ताकि शिकायतों का निपटारा तथा निदान समयबद्ध तरीके से किया जा सके।
6. ईएसआई कॉर्पोरेशन ने अपनी IT रोल आउट योजना बड़े स्तर पर जारी की है ताकि अपने सदस्यों यानि आईपी व लाभार्थियों को नकद लाभ तथा मेडिकल लाभ की शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और कार्यों में पारदर्शिता आ सके।

(ख) अनुपालन क्षेत्र

1. ईएसआई अधिनियम एक कानून होने की वजह से, इसके प्रावधानों अनिवार्य हैं।
2. ईएसआई अधिनियम में उल्लिखित विशिष्ट दंडात्मक प्रावधान के तहत नियोक्ताओं द्वारा गैर-अनुपालन दंडनीय है।
3. दोषी नियोक्ताओं के खिलाफ उचित वसूली मशीनरी पहले से ही लागू है।
4. देय की वसूली यदि चालू वर्ष में संभव नहीं के लिए तो अगले वित्तीय वर्ष में की जाती है।
5. बकाएदारों के खिलाफ अभियोजन पक्ष की कार्रवाई पहले से ही अधिनियम में प्रदान की जाती हैं।
6. नियोक्ताओं और ईएसआईसी आईपी, और निगम आदि के बीच सभी प्रकार के विवादों को संभालने के लिए कर्मचारी बीमा अदालतें मौजूद हैं।
7. कभी कभी ई.आई में न्यायालयों और महानगरीय मजिस्ट्रेट अदालतों में कानूनी विवादों को निपटाने में देरी, कभी कभी देरी अनुपालन की प्रभावशीलता और दावों को निपटाने में।
8. कभी कभी नियोक्ताओं के गैर-उपलब्धता और गैर-शिक्षणीयता की वजह से देय की वसूली चिंता का एक विषय बन जाती है।
9. कारखानों और प्रतिष्ठान को कवर करना मूल उद्देश्यों में से एक है।

कार्यवाही [2.2]: कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) लाभार्थियों को लाभ उपलब्ध कराना।

सफलता का सूचक [2.2.1] & [2.2.2]: सभी दावों (फॉर्म 10ए/10डी को छोड़कर) का 30 दिनों के भीतर निपटारा, और मासिक पेंशन दावों का (फॉर्म 10ए/10डी) 30 दिनों के भीतर निपटारा।

1. ईपीएफओ भारत सरकार द्वारा तयार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियांवयन एजेंसी है। अधिनियम के तहत तैयार तीन योजनाएं प्रोविडेंट फंड, मासिक पेंशन तथा डेथ अश्योरेंस के लिहाज से सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए एक स्थान प्रदान करता है। ये हैं- ईपीएफ योजना 1952, एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम 1995 तथा एम्प्लॉयी डिपॉजिट लिंक्ड इश्योरेंस

स्कीम 1976

2. चूंकि प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड तथा ईडीएलआई फंड का उद्देश्य भविष्य की आकस्मिक तथा औचक जरूरतों की पूर्ति करना है, तो ऐसे में संगठन के प्रदर्शन को फंड/लाभार्थियों को प्रदान किए लाभों के टर्म में मापा जा सकता है, खासकर जब वे सेवा निवर्तन या मृत्यु पर सेवा निवृत्त होते हैं, तो लाभ का हस्तांतरण परिवार के सदस्यों को किया जाता है।

सफलता का सूचक [2.2.3: खातों की पर्चियों का अद्यतन

ईपीएफओ अपने सदस्यों के प्रोविडेंट फंड का संचालन करता है। योजना के प्रावधानों के तहत यह तय किया गया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट का एक विवरण जारी किया जाए जो वर्ष के अंत के क्लोजिंग बैलेंस को दर्शाएगा। अतः अकाउंट का अपडेशन को एक सफलता सूचक माना गया है।

सफलता का सूचक [2.2.4]: जनता की शिकायतों का निपटान।

यह संगठन मुख्य रूप से सेवा केंद्रित संगठन है। ईपीएफ के सदस्य तथा पेंशनर इसके ग्राहक हैं। संगठन ने सेवा आपूर्ति में सुधार करने के लिए अपने कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया है। चूंकि कार्यालय योजनाओं तथा विस्तारित सेवा के क्रियांवयन से उपजी शिकायत के निपटारा प्रणाली के पहले स्तर के रूप में भी कार्य करते हैं, सदस्य शिकायतों के 31 मार्च तक निपटारा को एक सफलता सूचक माना गया है।

एसआई [2.1.1], [2.1.2] और [2.1.4] के संबंध में वर्ष 2012-13 के लिए प्रस्तावित मूल्य रखने के लिए मूलाधार निम्नानुसार है:

(क) नये केन्द्र खोले [2.1.1]:

1. इससे पहले कि योजना को किसी भी नए केंद्र में आरंभ किया जाता है, संबंधित राज्य सरकारों को कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा के लिए प्रावधान बनाने के लिए आवश्यक हैं।
2. किसी भी नए क्षेत्र में नए औषधालयों खोले जाते हैं, केवल वहां, जहां कम से कम 3000 औद्योगिक श्रमिकों की एकाग्रता केंद्र में हो।
3. यद्यपि क्रियांवयन की प्रक्रिया को तेज करने के क्रम में, कॉरपोरेशन पहले तीन सालों में (उत्तर-पूर्व राज्यों की स्थिति में पहले 5 साल) नए क्रियांवयन पर आने वाले संपूर्ण व्यय को वहन करता है, इसके बाद भी राज्य सरकार मेडिकल केयर का प्रावधान करने में अक्षम है।
4. फिर पिछले साल योजना के बड़ी संख्या में अन्य केंद्रों पर विस्तार के कारण, शेष केंद्र जहां योजना का क्रियांवयन किया जा सकता था, उनकी संख्या में कमी हुई।

	2009-10	2010-2011	2011-12
कार्यान्वित केंद्र की संख्या	49	68	60
शामिल कर्मचारियों की संख्या	1.17 लाख	1.14 लाख	1.57 लाख

5. तदनुसार, वर्ष 2012-13 के दौरान 28 कार्यान्वित केन्द्रों का प्रक्षेपण ऊपर के प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखते हुए जायज है।

(ख) सरकारी अस्पतालों में आरक्षित बेड समेत बेड क्षमता में वृद्धि: जहां ईएसआई सुविधा उपलब्ध नहीं हैं, वहां सेकंडरी तथा सुपर-स्पेशलिटी उपचार वाले प्रतिष्ठित अस्पतालों के साथ टाइ-अप व्यवस्था द्वारा इस मुद्दे पर ध्यान दिया जा रहा है।

(ग) नए अस्पतालों को खोलना [2.1.4]: अस्पतालों का उद्घाटन एक दीर्घकालिक परियोजना है और वर्ष के दौरान यह योजना एक के लिए बनाई है।

उद्देश्य-3 : खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं से बाल श्रम को खत्म करना

एनसीएलपी योजना: एनसीएलपी योजना (उद्देश्य-3) की सफलता बाल श्रम की पहचान कर उन्हें योजना के तहत चलाए जा रहे स्पेशल स्कूलों में शिक्षा देकर औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की मुख्य धारा में लाने में है। इनकी माप मुख्य रूप से जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली एनसीएलपी सोसाइटियों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट लेकर की जाती है। केन्द्रीय पर्यवेक्षण समिति का सदस्य होने के नाते राज्य सरकारों के श्रम विभाग बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की निगरानी में शामिल होते हैं।

उद्देश्य-4 : कौशल विकास को बढ़ावा देना

1. राज्य सरकार की ओर से यूसी द्वारा प्राप्त आईटीआई के उन्नयन के प्रस्ताव के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईएंडटी) धन को रिलीज (रिहाई) करने के लिए जिम्मेदार है।
2. एमईएस और अन्य योजनाएं जिसके तहत प्रशिक्षण दिया जाता है के तहत, लक्ष्य व्यक्ति की संख्या से गिना जाता है।
3. पीपीपी मॉडल योजना आयोग की मंजूरी का इंतजार कर रहा है, मंत्रालय ईएफसी नोट प्रसारित कर सकते हैं। आगले कदम ईएफसी के अवलोकन/अनुमोदन पर निर्भर करते हैं।

उद्देश्य-5: रोजगार सेवाओं को सुदृढ़ बनाना

विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसी'ज): विकलांगों को रचनात्मक तथा आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में व्यावसायिक पुनर्वास सेवाओं को उपलब्ध कराने में विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना।

1. प्रवेश (वीआरसी में पीडब्ल्यूडी के नामांकन);
2. मूल्यांकन (पीडब्ल्यूडी के अवशिष्ट क्षमता का आकलन);
3. पुनर्वास (आर्थिक सहायता प्राप्त करने के क्रम में उत्पादक बनने में सहायता)।

(ख) व्यावसायिक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षित अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजातियों के रोजगार चाहने वालों के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए कोचिंग कम गाईडैन्स केन्द्र (सीजीसी);

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नौकरी चाहने वालों के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन और कैरियर परामर्श सेवाएं प्रदान करना;
2. प्लेसमेंट के लिए इंतजार कर रहे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के नौकरी चाहने वालों को टाइपिंग और आशुलिपि की सुविधाएं उपलब्ध कराना;
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नौकरी चाहने वालों को प्रतियोगी परीक्षा / चयन परीक्षण ग्रुप 'सी' के पोस्ट के लिए तैयार करने के लिए कोचिंग प्रदान करना।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नौकरी चाहने वालों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देना।

उद्देश्य-6: औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निबटान तथा श्रम कानूनों की प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना।

कार्यवाही [6.1]: मजदूरों को राहत तथा लाभ प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों का प्रवर्तन।

सफलता सूचक [6.1.1]: बीओसीडब्ल्यू अधिनियम समेत सभी श्रम कानूनों के तहत जांच के दौरान अनियमितताओं का पता चला।

- क) विस्तृत परिभाषा: केंद्रीय दायरे में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों की लागू श्रम कानूनों के तहत जांच की गई। इकाई संपन्न की गई जांच की संख्या को दर्शाती है।
- ख) आधार: सफलता के सूचक के लक्ष्य का प्रस्ताव पिछले साल की वास्तविक उपलब्धियों तथा भविष्य के प्रस्तावित आंकड़ों के आधार पर दिया गया।
- ग) प्रस्तावित मापन विधि:- मापन क्षेत्र के मासिक रिपोर्ट के आधार पर होगा।
- घ) औचित्य: जांचों की संख्या श्रम प्रवर्तन गतिविधियों के दायरे को बताती है।

सफलता सूचक [6.1.2]: निरीक्षण के बाद अनुपालन का प्रतिशत

- क) विस्तृत परिभाषा: केंद्रीय दायरे में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों की लागू श्रम कानूनों के तहत जांच की गई। निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, नियोक्ता अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जो फिर से सत्यापित भी हैं। यूनिट ऐसे अनुपालन का प्रतिशत बताता है।
- ख) आधार: सफलता के सूचक के लक्ष्य का प्रस्ताव पिछले साल की वास्तविक उपलब्धियों तथा भविष्य के प्रस्तावित आंकड़ों के आधार पर दिया गया।
- ग) प्रस्तावित मापन विधि:- मापन क्षेत्र के मासिक रिपोर्ट के आधार पर होगा।
- घ) औचित्य: जांचों की संख्या श्रम प्रवर्तन गतिविधियों के दायरे को बताती है।

सफलता सूचक [6.1.3]: दोषी रोजगार प्रदाता के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत क्लेम केस दायर।

- क) विस्तृत परिभाषा: यह प्रवर्तन प्रणाली द्वारा ऐसे दोषी रोजगार प्रदाता के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत दायर किए गए क्लेम केस को दर्शाता है, जो सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी के भुगतान में असफल रहे हों।
- ख) आधार: सफलता के सूचक के लक्ष्य का प्रस्ताव पिछले साल की वास्तविक उपलब्धियों तथा भविष्य के प्रस्तावित आंकड़ों के आधार पर दिया गया।
- ग) प्रस्तावित मापन विधि:- मापन क्षेत्र के मासिक रिपोर्ट के आधार पर होगा।
- घ) औचित्य: दायर किए गए क्लेम केस की संख्या न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के क्रियावयन के प्रवर्तन के दायरे को सूचित करेगी।

कार्यवाही [6.3] : केन्द्रीय श्रम सेवा (सीएलसी) के अधिकारियों का प्रशिक्षण।

सफलता सूचक[6.3.1] : प्रशिक्षित अधिकारी

- क) विस्तृत परिभाषा: प्रशिक्षित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या।
- ख) आधार: सफलता के सूचक का लक्ष्य ट्रेनिंग कार्यक्रम की संख्या के आधार पर तथा अनुशंसित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या के आधार पर प्रस्तावित किया गया है।
- ग) प्रस्तावित मापन विधि: मापन ट्रेनिंग सेक्शन की मासिक रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।
- घ) औचित्य: प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या सीएलसी(सी) संगठन द्वारा ट्रेनिंग कार्यक्रम संचालित करने की योजना के प्रयास की सीमा को दर्शाती है।

उद्देश्य-7 : मजदूरों की सुरक्षा तथा सुरक्षा दशाओं में सुधार लाना।

- (क) सफलता सूचक का मूल्यांकन [7.2.1 & 7.2.2], कार्यवाही [7.2] के संदर्भ में यानि खदानों में कार्य दशाओं में सुधार लाना; फील्ड के हरेक अधिकारी की मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट के जरिए होगा।
- (ख) कार्यवाही [7.2] के संदर्भ में, सफलता सूचक [7.2.2], वर्ष 2012-13 के लिए लक्ष्य निपटाए जाने वाले आवेदनों के संख्या के रुझान पर केंद्रित रहा है। तय केंद्रों पर वार्षिक रूप से सीनियर जांच आयोजित की जाती है। जूनियर जांचों के लिए केंद्रों की संख्या नए क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित करने का प्रस्ताव है। जोनल कार्यालयों में जूनियर जांचों के विकेंद्रीकरण के बाद बैकलॉग को पूरा किया जाना था, जिससे वर्ष 2011-12 के दौरान जांचों की संख्या में इजाफा हुई।
- (ग) सेक्शन 6 “मंत्रालय के गतिविधियों का परिणाम/प्रभाव”, एसआई [7.1] तथा [7.2] में प्रयुक्त पदावली निम्नांकित हैं।

एफआर= रिपोर्ट की जाने वाली दुर्घटनाओं की संख्या * 10,00,000 आदमी / घंटे काम

आईआर=रिपोर्ट की जाने वाली दुर्घटनाओं की संख्या * 1000 / कार्यरत व्यक्तियों की औसत संख्या

खण्ड 5:

अन्य विभागों से विशिष्ट निष्पादन अपेक्षाएं

लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना, व्यापक रूप में एकीकृत वित्त प्रभाग/व्यय विभाग द्वारा फाइलों के प्रभावी निस्तारण तथा डीओपीटी/यूपीएससी द्वारा रिक्तियों को भरे जाने, एवं जहां आवश्यक हो, मानवशक्ति बढ़ाने के लिए व्यय विभाग द्वारा अनुमोदन पर निर्भर करेगा।

श्रम एक 'समवर्ती' विषय है। यह इंगित करना प्रासंगिक है कि मंत्रालय के सरोकार क्षेत्र, वही क्षेत्र हैं जिनमें राज्य सरकारों द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई जाती है, जिन्हें मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित स्कीमों के तहत संसाधन भी आवंटित किए जाते हैं। यद्यपि विविध क्रियान्वयन पहलुओं पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्यों का दौरा करने के समय उनके साथ चर्चाओं, तथा क्षेत्रीय अधिकारी योजना के माध्यम से राज्य सरकारों से नियमित संपर्क रखा जाता है, लेकिन मंत्रालय के विविध उद्देश्यों/क्रियाकलापों के अंतर्गत अनेक सफलता सूचकों की प्राप्ति, राज्य की प्रतिक्रिया तथा उनके द्वारा योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

1. उद्देश्य 1 के संदर्भ में लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधाएं- असंगठित सेक्टर के मजदूरों के लिए कल्याण तथ सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों में तेजी लाना।
 - क) स्वास्थ्य बीमा कवर (आरएसबीवाई) को लक्षित समूह तक ले जाने में बाधाएं: (i) राज्यों की भागीदारी की इच्छा, तथा (ii) एसएनए द्वारा उपलब्ध डेटा में अशक्तता।
 - ख) श्रम कल्याण संगठन में योजनाओं से जुड़े कार्यबोझ कई गुणा बढ़ा है, जबकि कर्मचारी बल कम हुआ है।
 - ग) बीडी मजदूरों के लिए हाउसिंग योजना के तहत, बीडी मजदूरों को भूमि के स्वामित्व से जुड़े कई दस्तावेज सौंपना होता है तथा ये दस्तावेज राज्य सरकार के संबद्ध विभागों से दिए जाते हैं, जिसमें काफी समय लगता है, इसलिए हाउसिंग अनुदान की मंजूरी में देर हो जाती है। लक्ष्य मान ओ/ओ कल्याण आयोग में प्राप्त आवेदन से जुड़ा होता है। हाउसिंग स्कीम के ईडब्ल्यूएस घटक के तहत, घरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होती है, जहां राज्यों को घरों को पूरा करने में काफी वक्त लगता है।
 - घ) पिछले कुछ वर्षों में बीडी कल्याण फंड के तहत वास्तविक व्यय काफी बढ़ा है, जबकि सेस संग्रह व्यय के समानुपातिक नहीं है।
2. उद्देश्य 2 के संदर्भ में लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधाएं- संगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना:
 - कार्यवाही [2.1] के संदर्भ में सफलता सूचक [2.1.1] राज्य सरकार के फैसले से सीधा जुड़ा है, जो नए कवरेज के लिए तथा नए औद्योगिक केंद्रों को लाने के लिए लिए अधिसूचनाएं जारी करेगी, सफलता सूचक [2.1.2] प्रत्यक्ष रूप से E.S.I. स्कीम अस्पतालों में अतिरिक्त बेड हेतु राज्य

सरकार द्वारा मेडिकल मदों पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास द्वारा प्रभावित होता है, सफलता सूचक [2.1.3] सीधे तौर पर बजार में गुणवत्तापूर्ण कर्मचारी की उपलब्धता तथा डॉक्टरों की संघर्षण दर में कमी से जुड़ा होता है। तथा सफलता सूचक [2.1.4] फंड की मंजूरी तथा भूमि के प्रावधान पर निर्भर करता है।

3. उद्देश्य 3 - संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से बाल श्रम का उन्मूलन किया जाना -के संदर्भ में लक्ष्यों की प्राप्ति में रुकावटें:

- (क) संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से निकाले गए बाल श्रमिकों हेतु, बच्चों का विशेष स्कूलों में नामांकन, एनसीएलपी स्कीम में स्थापित मानदंडों के अंतर्गत एनसीएलपी समितियों द्वारा आयोजित सर्वेक्षण तथा किसी विशेष स्कूल हेतु ऐसे बच्चों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है।
- (ख) चौदह वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले अनेक बच्चे हैं जो अपनी शिक्षा जारी रखने का विकल्प चुनने के बजाय रोजगार/स्व-रोजगार का विकल्प चुनते हैं।
- (ग) विभिन्न राज्य अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रम अपनाते हैं। किसी राज्य विशेष में स्थित एनसीएलपी स्कूलों में एकसमान पाठ्यक्रम अपनाने के लिए, राज्य श्रम विभाग द्वारा राज्य शिक्षा विभाग से सलाह लेते हुए पहल की जानी है। इसे ध्यान में रखा जाएगा कि विशेष स्कूलों में नामांकित, किसी विशेष श्रेणी से संबंधित तथा नगण्य शैक्षिक पृष्ठभूमि या इससे रहित बच्चे किसी राज्य विशेष में स्कूलों हेतु विनिर्दिष्ट सामान्य शैक्षणिक पाठ्य पुस्तकें अपनाने की स्थिति में नहीं होते। इसके अतिरिक्त, इसके लिए विविध स्तरों पर कन्वर्जेंस की अपेक्षा।
- (घ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित कल्याण योजनाओं का एक लक्षित समूह होता है, जिनपर योजना लागू की जाती है और बाल श्रमिकों तथा या उनके परिवारों को लाभ दिए जाते हैं, ऐसे में योजनाओं में सुधार की आवश्यकता होती है। योजनाओं में सुधार लाने के लिए, विभिन्न सरकारी एजेंसियों, जैसे योजना आयोग, व्यय वित्त समिति/स्थायी वित्त समिति से स्वीकृति की आवश्यकता है। इसमें 3 महीने से लेकर 2 वर्षों का समय लग सकता है। जैसा कि माना जाता है कि बाल श्रम गरीबी का एक नतीजा होता है और मध्यम आंकलनों से 30 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं तथा इनमें से केवल दस प्रतिशत लोगों तक भी पहुंचने के लिए एक गहन प्रयास की आवश्यकता होगी।

4. उद्देश्य 4 के संदर्भ में लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधाएं- कौशल विकास को बढ़ावा देना:

- (क) विभिन्न योजनाओं के तहत फंड का रिलीज राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करता है।
- (ख) आईटीआई'ज प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं तथा सभी नवीनीकरण/आधुनिकीकरण की विभिन्न अवस्था में हैं तथा इसलिए आवश्यक डेटा की अनुपलब्धता में व्यक्ति आधारित प्रशिक्षण या नौकरी स्थापन संभव नहीं है। इस उद्देश्य के लिए एमआईएस का विकास किया जा रहा है।
- (ग) राज्य सरकारों के माध्यम से मॉड्यूलर रोजगार कौशल योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है और उपलब्धि उनकी पहल और समर्थन पर निर्भर करती है।

5. उद्देश्य 5 के संदर्भ में लक्ष्यों को हासिल करने में आने वाली बाधाएं; रोजगार सेवाओं का सुदृढीकरण:
- (क) विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसीएच): पीडब्ल्यूडी का पुनर्वास एक समंवित प्रयास है। सफलता के सूचकों को हासिल करने के लिए निजी, एनजीओ, वित्तीय एजेंसियां, रोजगार प्रदाताओं को गहन रूप से तालमेल बनाने की जरूरत है, ताकि सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति हो सके।
- (ख) एससी/एसटी के लिए कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केंद्र: पढ़े-लिखे एससी/एसटी की रोजगारशीलता को बढ़ाना एक समंवित प्रयास है। सफलता के सूचकों को हासिल करने के लिए सरकार, निजी एनजीओ, वित्तीय एजेंसियां, रोजगार प्रदाताओं को गहन रूप से तालमेल बनाने की जरूरत है, ताकि सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति हो सके।
6. उद्देश्य 7 के संदर्भ में लक्ष्यों को हासिल करने में बाधाएं- सुरक्षा दशाओं तथा मजदूर की सुरक्षा में सुधार करना:
- (क) (क) महानिदेशक एफएएसएलआई द्वारा अध्ययन, सर्वेक्षण और निरीक्षणों को संचालित किया गया, कार्रवाई [7.1], सफलता सूचक [7.1.3] के संदर्भ में, व्यय विभाग के साथ जो बात जनशक्ति की वृद्धि पर निर्भर है उठायी गयी।
- (ख) अध्ययन का संचालन, कार्यवाही [7.1] के संदर्भ में डीजीएफएएसएलआई द्वारा सर्वेक्षण, सफलता सूचक [7.1.2] मानव बल के संवर्धन पर निर्भर करता है, जिसके लिए व्यय विभाग के समक्ष मामले को उठाया गया है।
- (ग) डीजीएमएस द्वारा 2012-13 से 2014-15 में किए जाने वाली प्रॉजेक्ट से जुड़ी जांचों के आंकड़े [7.2.1] फील्ड/जांच अधिकारियों के खाली पदों को भरने पर निर्भर करता है।

धारा 6:
मंत्रालय/विभाग का परिणाम/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय के परिणाम/प्रभाव	निम्नांकित विभाग, विभागों/मंत्रालय के साथ इस परिणाम/प्रभाव को प्रभावित करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
				10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
१. संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज	राज्य सरकार	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के तहत शामिल परिवारों की प्रतिशतता, गरीब या उपलब्ध 3.6 करोड़ बीपीएल परिवार।	%	64.72	76.39	89	94.4	100
२. संगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज की उपलब्धता में बढ़ोतरी	राज्य सरकार	एम्प्लॉयी स्टेट इश्युरेंस (ईएसआई) योजना के तहत कवर किए व्यक्तियों की संख्या	संख्या (करोड़ों में)	1.46	1.53	1.60	TBD	TBD
३. कुशल मानवबल की उच्च उपलब्धता	राज्य सरकार और अन्य केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग	सरकारी आईटीआई में ट्रेनिंग सीटों की उपलब्धता	संख्या	457794	477000	497000	515000	533000
		कौशल विकास केंद्रों(एसडीआई)/व्यावसायिक ट्रेनिंग प्रदाता के पास सीटों की उपलब्धता।	संख्या	421532	85620	600000	700000	800000
४. बाल श्रम में कमी	राज्य सरकार	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत (एनसीएलपी) में नामांकित बच्चों की संख्या।	संख्या	42000	45000	46800	52000	52000

धारा 6:
मंत्रालय/विभाग का परिणाम/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय के परिणाम/प्रभाव	निम्नांकित विभाग, विभागों/ मंत्रालय के साथ इस परिणाम/प्रभाव को प्रभावित करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10/11	वित्तीय वर्ष 11/12	वित्तीय वर्ष 12/13	वित्तीय वर्ष 13/14	वित्तीय वर्ष 14/15
५. लयबद्ध औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देना।		प्रहारों की संख्या	संख्या	18	24	22	20	18
		केंद्रीय दायरे में समझौते के जरिए निपटाए गए औद्योगिक विवादों की प्रतिशतता।	%	34	35	35	35	35
६. खदान प्रबंधन द्वारा अनुपालनता कर नजर रखते हुए पेशागत रोगों के जोखिम तथा खदानों में काम करने वाले लोगों की मृत्यु में कमी लाना	खदान प्रबंधन	उल्लंघन/नोटिस/ खदान प्रबंधन द्वारा दिए आदेश की अनुपालनता की प्रतिशतता	%			80	80	80
७. सुरक्षा पारामीटरों में निरंतर सुधार लाकर बंदरगाह क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा में सुधार में इजाफा करना।	डीजीएफएएसएलआई, डॉक सुरक्षा निरीक्षणालय (आईडीएस), पोर्ट प्राधिकरण तथा भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर स्थित बंदरगाह के प्रयोक्ता	डॉक मजदूर (सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण अधिनियम 1986) के तहत प्रमुख बंदरगाहों में बारम्बारता दर में सुधार।	संख्या	.84	.83	.82	.81	.80
		डॉक मजदूर (सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण अधिनियम 1986) के तहत प्रमुख बंदरगाहों में घटना दर में सुधार।	संख्या	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0